


न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : ~~ज.अ.सं.प. 28~~ / 2011 ~~श.स.नारायणदास~~ बनाम ~~न.स.शानसिंह कोराह~~

कार्यवाही / आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10-7-19	<p>बेचोपदेत सं 01, 2 व 3 के विराम अतिरिक्त के श्री सदीश शर्मा का कथन है कि अपीलार्थी अपील विज्ञा के आधार पर शर्जि कथन पारित है कि कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>हैं उन कथनों के बहस पर शर्जि के दिनांक 2-4-19 को प्रस्तुत प्रार्थना के सम्बन्ध में प्रजापति का उपलक्षण विधान - पूर्व अपीलार्थी अपील का आरोप नहीं चलाना चाहते हैं और विज्ञा के आधार पर शर्जि करने के इच्छुक हैं, जिसमें कछील रजिस्ट्रेशन के कोई प्रस्ताव नहीं है। अतः उक्त विवेचना 31-7-19 को दिनांक 2-4-2019 अपीलार्थी विधान जाता है। अपील विज्ञा विधि जो कि इच्छुक के आधार पर अपील-अपीलार्थी शर्जि के पारित है निरर्थक है इजाला सुनाया गया।</p>	


जयपुर (द्वितीय)
जयपुर